2022/233

21/6/2022
02-8-2022

फोटो स्टेशनरी, मांडलगढ़ ~~230289~~

राजस्थान सरकार

ता. पेशी ~~[illegible]~~ 03/09/2022

(कायदा — 129)

1.11.22

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.) 14/2/22

5/4/23

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
धारा - 131	118/22	4/5/2022	निर्णित 25/07/23	06-6-23

अनवान

श्री वन्दना देवी पत्नि श्रीराज पाण्डे श्री राजस्थान सरकार

निवासी बिजौलियां निवासी

R.P. DHaker.

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार रेस्पाडेन्ट / मदयूनाव

श्री .... श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

सरकार वन्दना बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा – नम्बर 112 वर्ष 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.5.2022	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील प्रार्थी हाजिर। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 21/6/2022 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
21/6/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 2/8/22 को वास्ते तलबी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
2/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बाद समन [illegible] प्राप्त [illegible] शामिल पत्रावली। पत्रावली में मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार बिजौलियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट दि. 8.9.22 को पेश हो।	
8/9/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व सरकार पेशकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट दि. 1.11.22 को पेश हो।	
1/11/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 13/12/22 को वास्ते मौ. रि. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	

13/12/22 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 24.1.23 को वास्ते मौ. रिपो. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

24.1.23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उप.। तहसीलदार बिजौलिया से मौका रि. प्राप्त नहीं हुई। TDR बिजौलिया को मौ. रि. जारी करने हेतु पुन स्मरण पत्र जारी किया जावे। पत्रावली वास्ते मौ. रि. दिनांक 14.2.23 को पेश हो।

14/2/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 21/2/23 को वास्ते मौ. रि. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

21/2/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 28/3/23 को वास्ते मौ. रि. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

28/3/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उप.। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट दिनांक 3/5/23 को पेश हो।

3/5/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित। तहसीलदार बिजौलिया से मौका रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली वास्ते दिनांक 09/05/23 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/5/23	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रति० उपस्थित श्रीमान F.O.सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 16/5/23 को वास्ते मौ० रि० पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
16/5/23	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान F.O.सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 6/6/23 को वास्ते मौ० रि० पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
06/06/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया, कि तहसीलदार, बिजौलिया की मौका रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकी है, जिसे शामिल पत्रावली किया गया है। पत्रावली वास्ते निर्णय/बहस दिनांक 05/07/23 को पेश हो।	
5/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 25/7/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
25/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :–118/2022

दायर तारीख 04/05/2022

अनवान

वन्दनादेवी पत्नि ऋतुराज जाति पाण्डेय उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)।

...........प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपस्थित :–श्री रामफूल धाकड़, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

–: निर्णय :–

दिनांक 25/07/2023

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामफूल धाकड़ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत विरूद्व विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की मौजा ग्राम फतहपुरा प0ह0 उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां में स्थित अपने नाम पर दर्ज भूमि कि कब्जेधारी स्वामीनी है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 कि जमाबन्दी अनुसार खसरा नं. 19 रकबा 5.01 बीघा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 19/2 रकबा 0.12 बीघा किस्म गें. मु. वाणिज्यक प्रयोजनार्थ, खसरा नं. 19/3 रकबा 0.03 बीघा किस्म बारानी प्रथम कुल किता 03 रकबा 5 बीघ 16 बिस्वा भूमि स्थित हैं। प्रार्थीया ने खसरा न. 19/2 रकबा 0.12 बिस्वा भूमि वाणिज्यक प्रयोजनार्थ के आंशिक उतरी भाग पर व्यवसायिक भवन का निर्माण वर्ष 2017 मे करवा दिया था खसरा न. 19 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा मे 1 बीघा भूमि को प्रार्थीया ने विक्रय कर दिया जिस का नामान्तरण संख्या 339 दिंनाक 09.02.2017 को केता श्री सांवरिया एजुकेशन सोसायटी के नाम पर खोल दिया शेष खसरा न. मे से बचे 4 बीघा 01 बिस्वा भूमि मे से 02 बीघा 04 बिस्वा भूमि का विक्रय श्री सांवरिया एजुकेशन सोसायटी को कर दिया इस के पश्चात प्रार्थीया के खातें कि 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि शेष रही है विक्रय के अनुसार 02 बीघा 04 बिस्वा का नामान्तरण संख्या 347 दिंनाक 26.05.2017 को केता के नाम पर खोल कर खसरा 19/5 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा केता को दिया गया पूर्व में बेची गयी खसरा न. 19 कि 01 बीघा भूमि जमाबन्दी मे खसरा न. 19/4 रकबा 01 बीघा भूमि को केता के नाम दर्ज करा दिया गया।

खसरा न. 19/3 रकबा 03 बिस्वा यथावत्त प्रार्थीया के नाम पर दर्ज आगे चल रही है। खसरा न. 19/2 रकबा 12 बिस्वा किस्म वाणिज्यक प्रयोजनार्थ व खसरा न. 19/3 रकबा 03 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम बिना प्रार्थीया कि जानकारी के स्थान विशेष पर रास्ता निकालने से कि प्रार्थीया के बिना अनापत्ति प्राप्त किए खसरा न. 19/2 रकबा 12 बिस्वा में से 01 बिस्वा एवं खसरा न. 19/3 रकबा 03 मे से 01 बिस्वा बाबत रास्ते कि गे. मु. भूमि दर्ज करने नामान्तरण संख्या 381 दिंनाक 24.04. 2019 को खोल दिया गया है। खसरा नं. 19/2 रकबा 01 बिस्वा खसरा न. 19/3 रकबा 01 बिस्वा किस्म भूमि रास्ते कि तरमीम नक्सा ट्रेस में दोनो खसरा न. कि उतरी सीमा पर कर दि गयी जबकि खसरा न. 19/2 किस्म भूमि वाणिज्यक प्रयोजनार्थ दर्ज है उसकि उतरी दिशा मे वाणिज्यक उपयोग का भवन निंमित उक्त निंमित भवन से प्रार्थीया के नाम दर्ज खसरा नं. 19/3 भी प्रभावित है। राजस्व अभिलेखो मे दर्शाये गये रास्ते कि तरमीम जिस प्रकार नक्सा ट्रेस में कर रखी उस के परिणाम स्वरूप कभी प्रार्थीया के निंमित भवन को इस आधार पर तोड दिया जा सकता है कि प्रार्थीया द्वारा रास्ते कि भूमि पर निर्माण करवा रखा है। जबकि प्रार्थीया ने स्वअधिकार वर्ष 2017 में ही भवन का निर्माण कर दिया था प्रार्थीया के लिए निंमित भवन वाले स्थान पर रास्ता कायम करने हेंतु प्रार्थीया ने सहममि नहीं दी एवं ऐसा किया जाना प्रार्थीया के लिय प्रायौगिक रूप से सम्भव नही था क्योकि क्यो स्वंय प्रार्थीया अपने ही निंमित भवन को तुडावने कि ऐसी अनापत्ति या ऐसी सहमति से वहा रास्ता कायम करवाती। प्रार्थीया अपने ही नाम पर दर्ज भूमि खसरा न. 19, 19/2 , व 19/3 के मध्य जहा भूमि खाली पडी

निरन्तर पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

खसरा न. 19/5 उतरी मेड से पूर्वी दिशा कि ओर राजस्व नक्सा टेरा मे दर्शाये गये गे. मु. राजकिय रास्ते तक उतनी ही चोडाई के रास्ते हेंतु देने के लिय सहमत है। खसरा न. 19/2 व 19/3 कि उतरी सीमा पर नक्सा ट्रेस में दर्शाए गयी खसरा नं. 407/19, 408/19 किस्म भूमि रास्ता ताकि तरमीम को हटाया जा कर प्रार्थीया कि सहमति के आधार पर खसरा नं. 19/5 कि उतरी मेड से पूर्व दिशा में पूर्वी ओर के राजकिय भूमि पर निकलने वाले रास्ते तक संशोधित तरमीम द्वारा रास्ता दर्ज करवाये जाना विधि सम्मत है। उक्त तरमीम मे यदि प्रार्थीया कें खाते मे खसरा न. 19 कि 01 बीघा 17 बिस्वा प्रभावित होकर उस में रास्ते कि तरमीम कि जाती है तो प्रार्थीया को कोई आपत्ति नही है। पूर्व कि रास्ते कि तरमीम प्रार्थीया कि अनुपस्थिति में कि गयी तहसीलदार महोदय द्वारा प्रार्थीया के पति को राजस्व रेकार्ड में दर्ज रास्ते से बाधा हटाने हेतु नोटिस देने पर प्रार्थीया को रास्ते बाबत् त्रुटी पूर्ण नक्से में हो रही तरमीम बाबत् प्रथम बार जानकारी हुई। प्रार्थीया ने निवेदन किया कि रास्ते कि परिवर्तित तरमीम करवाई जावे व पूर्व रास्ते कि तरमीम को नक्सा ट्रेस से हटाया जाने का विपक्षी को आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई।

तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/2023/543 दिनांक 12.04.2023 से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रकरण की वस्तुस्थिति प्रार्थीया वन्दना देवी पत्नी ऋतुराज जाति पाण्डेय निवासी बिजौलियां ने अन्तर्गत धारा 131 रा0भू0राज0अधि0 में मौजा ग्राम फतहपुरा, प0ह0 उमाजी का खेडा में स्थित आराजी नं0 407/19 व 408/19 रकबा क्रमशः 01, 01 बिस्वा भूमि की तरमीम को हटवाकर दूसरी जगह तरमीम किये जाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय बिजौलियां में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम फतहपुरा मे मेरी खातेदारी आराजी न0 19/2 रकबा 12 बिस्वा मे से 01 बिस्वा एवं आराजी न0 19/3 रकबा 03 बिस्वा मे से 01 बिस्वा भूमि मेरी जानकारी के बिना एवं मेरी बिना अनापति प्रमाण पत्र के ही गैर मुमकिन रास्ता कर दी गयी है। तथा उक्त रास्ते की तरमीम भी उक्त दोनो खसरा नं0 के उतरी सीमा मे कर दी गयी है। जबकि खसरा नं0 19/2 की किस्म गे0मु0 वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दर्ज हैं तथा खसरा नं0 19/2 की उतरी दिशा में वाणिज्यिक उपयोग का भवन निर्मित उक्त निर्मित भवन से 19/2 में वर्ष 2017 में ही भवन का निर्माण कर लिया गया हैं तथा उक्त निर्मित भवन वाले स्थान पर गे0मु0 रास्ता कायम करने हेतु सहमति नही दी थी। प्रार्थीया उक्त गेमु0 रास्ता आराजी नं0 407/19 व 408/19 की तरमीम को हटवाना चाहती है। एवं अपनी सहमति के आधार पर खसरा नं0 19/5 की चौडाई का रास्ता देने हेतु सहमत है या उक्त समर्पण भूमि की एवज में ग्राम फतहपुरा की बिलानाम आराजी नं0 22 मे से 30 फीट चौडा रास्ता दर्ज करवाना चाहती है। तथा खसरा नं0 19 रकबा 1.17 बीघा प्रभावित होकर उससे रास्ते की तरमीम की जाती हैं तो प्रार्थीया को कोई आपति नही होना बताया हैं। उक्त प्रकरण की जांच भू0अ0नि0 उमाजी का खेडा एवं पटवारी हल्का उमाजी का खेडा से करवाई गई ।

भू0अ0नि0 उमाजी का खेडा एवं पटवारी हल्का उमाजी का खेडा द्वारा मौका पर्चा अनुसार ग्राम फतहपुरा की आराजी नं0 407/19, 408/19 रकबा क्रमश : 0.0081 है0 व 0.0081 है0 भूमि बिलानाम गेमु रास्ता दर्ज है जो वादी वन्दना देवी द्वारा वक्त कृषि भूमि से गेमु विधालय संपरिवर्तन के समय रास्ता हेतु समर्पण की जाने से गेमु रास्ता दर्ज हुआ है। आराजी नं0 19 रकबा 0.2995 है0 किस्म बारानी प्रथम व आराजी नं0 19/2 रकबा 0.0890 है0 गेमु वाणिज्यिक, आराजी नं0 19/3 रकबा 0.0162 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि वादी वन्दनादेवी पत्नी ऋतुराज पाण्डेय सा0 बिजौलियां के नाम दर्ज रेकार्ड है। मौका स्थिति अनुसार आराजी नं0 407/19, आराजी नं0 408/19 वर्तमान में रास्ते के उपयोग में नही आ रही हैं एवं आराजी नं0 19, 19/2, 19/3 मे से होकर नजरी नक्शा अनुसार होकर गुजर रहा है। वादिया खातेदार द्वारा पूर्व समर्पित रास्ता जो आदेश की पालना में नामा0 संख्या 95 दिनांक 24.04.2019 से राजस्व रेकार्ड में कायम होकर आराजी नं0 407/19 व 408/19 दर्ज हुआ उसे पुनः स्वयं की खातेदारी में दर्ज करवाना चाहती है। एवं आराजी नं0 19/2 व 19/3 मे से रकबा क्रमशः 0.0081 है0, 0.0081 है0 भूमि नजरी नक्शा व नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित दर्शाये रास्ते मे समर्पण करना चाहती है। साथ ही आराजी नं0 19 रकबा 0.2995 है0 भूमि मे से भी 0.0081 है0 भूमि गेमु0 रास्ता हेतु समर्पण करवाना चाहती है। वादिया खातेदार द्वारा बताये अनुसार रास्ता तरमीम शुद्धि हेतु मौका पर्चा तैयार किया जाकर वादिया खातेदार के हस्ताक्षर करवाये गये।

निरन्तर पेज संख्या 03 पर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

अतः मौका पर्चा, जमाबन्दी नकले, नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें सादर निवेदित है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दस्तावेज के साथ नकल जमाबन्दी ग्राम फतहपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या नया 90, नकल जमाबन्दी ग्राम फतहपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या नया 1 एवं सम्परिवर्तन आदेश की सत्यापित फोटोप्रति, नक्शा ट्रेस की सत्यापित फोटोप्रति, मौका पर्चा ग्राम फतहपुरा की सत्यापित फोटोप्रति संलग्न की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के अनुसार तरमीम करवाना चाहा हैं एवं पैराकार सरकार ने उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में जवाब प्रस्तुत किया हैं।

पैरोकार सरकार स्वयं ने अपने उक्त जवाब में अंकित किया कि ग्राम फतहपुरा की आराजी नं0 19 रकबा 0.2995 है0 किस्म बारानी प्रथम व आराजी नं0 19/2 रकबा 0.0890 है0 गेमु वाणिज्यिक, आराजी नं0 19/3 रकबा 0.0162 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि वादी वन्दनादेवी पत्नी ऋतुराज पाण्डेय सा0 बिजौलियां के नाम दर्ज रेकार्ड है। मौका स्थिति अनुसार आराजी नं0 407/19, आराजी नं0 408/19 वर्तमान में रास्ते के उपयोग में नही आ रही हैं एवं आराजी नं0 19, 19/2, 19/3 मे से होकर नजरी नक्शा अनुसार होकर गुजर रहा है। वादिया खातेदार द्वारा पूर्व समर्पित रास्ता जो आदेश की पालना में नामा0 संख्या 95 दिनांक 24.04.2019 से राजस्व रेकार्ड में कायम होकर आराजी नं0 407/19 व 408/19 दर्ज हुआ उसे पुनः स्वयं की खातेदारी में दर्ज करवाना चाहती है। एवं आराजी नं0 19/2 व 19/3 मे से रकबा क्रमशः 0.0081 है0, 0.0081 है0 भूमि नजरी नक्शा व नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित दर्शाये रास्ते मे समर्पण करना चाहती है। साथ ही आराजी नं0 19 रकबा 0.2995 है0 भूमि मे से भी 0.0081 है0 भूमि गेमु0 रास्ता हेतु समर्पण करवाना चाहती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं पैरोकार सरकार के जवाब पर गनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम के आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं कि तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट एवं मौका स्थिति अनुसार ग्राम फतहपुरा प0ह0 उमाजी का खेड़ा स्थित आराजी नं0 407/19 व 408/19 को स्वयं प्रार्थी के नाम पर पूर्व की भांति दर्ज किया जावें एवं आराजी नं0 19/2 व 19/3 मे से रकबा क्रमशः 0.0081 है0, 0.0081 है0 भूमि नजरी नक्शा व नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित दर्शाये रास्ते मे समर्पण करवाया जावे साथ ही आराजी नं0 19 रकबा 0.2995 है0 भूमि मे से भी 0.0081 है0 भूमि गेमु0 रास्ता हेतु समर्पण करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 25/07/2023 को लिखवाया जाकर सुनवाया गया ।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा